

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,

सं०-1/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुस्तक अधि०-14-63-01/12-

स्थापना एवं  
प्रतिबद्ध व्यय

55

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
मुजफ्फरपुर/दरभंगा/भागलपुर/पटना  
सारण/गया/नालन्दा।

पटना, दिनांक- 25.08.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या-53 दिनांक-21.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार अनुसूचित जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2- अनुसूचित जाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹16.00 लाख ( सोलह लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-44 में आय व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष 0008-पुस्तक अधिकोष की स्थापना-विषय शीर्ष-0008.13.01-कार्यालय व्यय विपत्र कोड सं०-44-2225012770008 के अन्तर्गत विकलनीय है।

अनुसूचित जनजाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹6.00 लाख (छः लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-44 में आय व्यय मुख्य शीर्ष "2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0001- छात्रवृत्तियां और वृत्तियां- विषय शीर्ष-0001.13.01-कार्यालय व्यय-विपत्र कोड सं०-44-2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।


3- इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उपविकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय आवंटनादेश तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिश्वासभाजन

  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक।

ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-55 पटना, दिनांक- 25.08.17  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/सभी  
संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव के प्रधान आर्ष सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण  
विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय  
उपनिदेशक कल्याण/सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों/लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0  
जनजाति कल्याण विभाग/ सांख्यिकी कोषांग अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा  
पदा0 बजट शाखा अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं  
अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-55 पटना, दिनांक- 25.08.17  
प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/दरभंगा/भागलपुर/पटना/सारण/गया/  
नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Am*

निदेशक  
*Am*  
25/8/17

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिफोष की स्थापना हेतु अनु० जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन ।

क्रमांक	जिला का नाम	आंवटित राशि (रु० में)		योग
		अनु०जाति	अनु० जनजाति	
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरपुर	200000	75000	275000
2	दरभंगा	200000	75000	275000
3	भागलपुर	200000	75000	275000
4	पटना	400000	150000	550000
5	सारण	200000	75000	275000
6	गया	200000	75000	275000
7	नालन्दा	200000	75000	275000
		<b>1600000</b>	<b>600000</b>	<b>2200000</b>

(बाईस लाख रु०)मात्र

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
निदेशक 8/11/17

पत्रांक-55 दिनांक-25.08.17 को अनुलग्नक ।